

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/4483

दिनांक : 16.02.2024

सेवा में,

सचिव,

जे०एस०एम० गुप ऑफ इंस्टीट्यूशन,

हापुड़।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 01.11.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने महाविद्यालय/संस्थान में चयन समिति द्वारा चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को प्राचार्य पद पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

S.N. Name
1-Dr. Subhash Chand
Gautam

Design
Principal

Qualification
M.A., Ph.D.

Univ. Expert
Prof. Ravendra Sharma
CCSU, Meerut
Prof. Shailendra Sharma
CCSU, Meerut
Prof. M.K. Gupta
CCSU, Meerut

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार उपरोक्त अभ्यर्थी को प्राचार्य पद पर शासन/यू०जी०सी०/नियामक संस्था के मानकानुसार अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति महाविद्यालय में उपरोक्त पाठ्यक्रम के संचालन रहने तक उपरोक्त शिक्षकों की सेवाये संतोषजनक रहने तक, यथावत रहेगी। शिक्षकों की शिक्षण गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया निरन्तरता से अपनाया आवश्यक है। असन्तोषजनक संदा होने की स्थिति में सेवा सम्बन्धी संविदा का विखण्डन करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विश्वविद्यालय के मा० कुलपति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि चयनित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र की दशा में विलम्बतम 15 दिवसों में विश्वविद्यालय को अवगत कराया जाएगा तथा रिक्त स्थान की आपूर्ति के लिए तुरन्त चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करेंगे। चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे। चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति प्रमाण पत्र तथा संस्थान में कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी अभिलेख विश्वविद्यालय को पत्र प्राप्ति के 10 दिवसों में उपलब्ध कराये जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

प्रधान सहायक (सम्बद्धता)

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/ 4038
दिनांक : 11.3.2025

सेवा में,
सचिव/प्राचार्य,
जे०एम०एस० ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन,
हापुड़।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 05.11.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने महाविद्यालय/संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी०बी०ए० पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को **असिस्टेंट प्रोफेसर** पद पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

S.N.	Name	Design	Qualification	Univ. Expert
1-	Ms. Parul Chauhan	Asst. Prof.	MBA	Prof. Shailendra Kr. Sharma D.N. P.G. College, Meerut Prof. Amit Sharma I.P. College, Bulandshahr
2-	Ms. Mansi Kansal	Asst. Prof.	MBA	----- do -----
3-	Ms. Ankita Sharma	Asst. Prof.	MBA	----- do -----
4-	Mr. Gaurav Kumar	Asst. Prof.	M.Com. MBA	----- do -----
5-	Ms. Udisha Teotia	Asst. Prof.	MBA	----- do -----
6-	Mr. Nimish Goel	Asst. Prof.	MBA	----- do -----
7-	Mr. Rajkuamr Verma	Asst. Prof.	M.Com.	----- do -----
8-	Mr. Vipin Kumar	Asst. Prof.	MBA	----- do -----
9-	Mr. Amit Kumar	Asst. Prof.	M.Com.	----- do -----
10-	Ms. Tanvi Gaur	Asst. Prof.	MBA	----- do -----
11-	Mr. Shiv Shankar Pachori	Asst. Prof.	MBA	----- do -----
12-	Mr. Gaurav Sharma	Asst. Prof.	PGDM	----- do -----
13-	Mr. Rahul Kumar	Assi. Prof.	MBA	----- do -----
14-	Mr. Arti Chaudhary	Asst. Prof.	MBA	----- do -----
15-	Ms. Anmol Kalra	Asst. Prof.	MBA	----- do -----
16-	Mr. Ankit Kr. Nagar	Asst. Prof.	PGDM	----- do -----
17-	Mr. Vishal Tyagi	Asst. Prof.	PGDM	----- do -----
18-	Ms. Sراسي	Asst. Prof.	MBA	----- do -----
19-	Mr. Amit Sharma	Asst. Prof.	PGDM	----- do -----
20-	Mr. Rajdeep	Asst. Prof.	PGDM	----- do -----

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी०बी०ए० पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थियों का नेट/पी०एच०डी० उपाधि न होने के कारण मा० कार्यपरिषद की आहूत बैठक दिनांक 20.06.2024 में पारित निर्णय एवं विश्वविद्यालय के पत्रांक सम्बद्धता/1278 दिनांक 20.07.2024 के अनुपालन में उपरोक्त शिक्षकों को शिक्षण व्यवस्था हेतु औपबन्धिक रूप से एक वर्ष हेतु **असिस्टेंट प्रोफेसर** पद पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि चयनित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र की दशा में पिलम्बतग 15 दिवसों में विश्वविद्यालय को अवगत कराया जाएगा तथा रिक्त स्थान की आपूर्ति के लिए तुरन्त चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करेंगे। चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत् रहेंगे। चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति प्रमाण पत्र तथा संस्थान में कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी अभिलेख विश्वविद्यालय को पत्र प्राप्ति के 10 दिवसों में उपलब्ध कराये जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

Note: These appointments shall be made for one year only & will not be renewed automatically. Further, the benefit of such teaching experience will not be counted for the post of Principal in self-finance college or anywhere else.

भवदीय

One Year Appro. (10)

प्रधान सहायक (सम्बद्धता)

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/3997
दिनांक : 17-02-2022

सेवा में,
सचिव,
जय माँ सावित्री गुप ऑफ इंस्टीट्यूट,
हापुड़।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 17.08.2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उन्होंने संस्थान में संचालित बी०बी०ए० पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

<u>S.N.</u>	<u>Name</u>	<u>Design</u>	<u>Qualification</u>	<u>Univ. Expert</u>
1-	Vipin Kumar	Asst. Prof.	BBA, MBA 65.22%	Dr. Rajeiv Sijariya CCS Uni. Meerut Dr. Ajay Jain CCS Uni. Meerut
2-	Shweta Chaudhary	Asst. Prof.	BBA, MBA 65.77%	----- do -----
3-	Rajkumar Verma	Asst. Prof.	M.Com. MBA 71.97%	----- do -----
4-	Navneet Kumar	Asst. Prof.	B.Tech. MBA 69-82%	----- do -----
5-	Parisha Sharma	Asst. Prof.	B.Sc. MBA 67 %	----- do -----
6-	Swati Jain	Asst. Prof.	BBA, MBA 66%	----- do -----

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी०बी०ए० पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर शासन / यू०जी०सी० / एन०सी०टी०ई० / बी०सी०आई० / एम०सी०आई० / एन०सी०आई० / सी०सी०आई०एम० / ए०आई०सी०टी० के मानकानुसार पाँच वर्ष हेतु अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मृत्यु / त्यागपत्र / निष्कासन की दशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के सम्बन्ध में अद्यतन शासनादेशों के प्राविधानों के अनुपालन का उत्तर दायित्व संस्थान / महाविद्यालय का होगा। चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय
for [Signature]
19.1.22
सहाय कुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव [Signature]

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/6351
दिनांक : 02.7.2020

Ry

सेवा में,
सचिव,
जे०एम०एस० ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन,
एन०एच०-24, हापुड़ बाईपास रोड़, हापुड़।
महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 07.05.2019 अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उन्होंने संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित बी०सी०ए० पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

<u>S.N.</u>	<u>Name</u>	<u>Design</u>	<u>Qualification</u>	<u>Univ. Expert</u>
1-	Monika Agarwal	Asst. Prof.	BCA, MCA	Prof. Shivrj Singh CCS Uni. Meerut Dr. B.S. Kalra, Meerut College, Meerut ----- do ----- ----- do -----
2-	Rachna Devi	Asst. Prof.	MCA, M. Tech.	
3-	Aradhana Yadav	Asst. Prof.	B.Tech., M.Tech.	

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित बी०सी०ए० पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर शासन/ यू०जी०सी०/ एन०सी०टी०ई०/ बी०सी०आई०/ एम०सी०आई०/ एन०सी०आई०/ सी०सी०आई०एम० / ए०आई०सी०टी० के मानकानुसार पाँच वर्ष हेतु अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र/निष्कासन की दशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के सम्बन्ध में अद्यतन शासनादेशों के प्राविधानों के अनुपालन का उत्तर दायित्व संस्थान/महाविद्यालय का होगा। चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

कुलसचिव (सम्बद्धता)

कृते कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/41
दिनांक : 06.11.2024

सेवा में,
सचिव/प्राचार्य,
जे०एम०एस० गुप ऑफ इंस्टीट्यूट,
हापुड़।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 25.10.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने महाविद्यालय/संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी०ए०, बी०काम० एवं बी०एस०सी० पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

S.N.	Name	Design	Qualification	Univ. Expert
B.A	1-Sulakshna	Asst. Prof. (Eco.)	MIB, Ph.D.	Dr. Dushyant Kumar A.S College, Lakhawati Dr. Renu Bala SSV College, Hapur ----- do -----
	2-Manish Kumar	Asst. Prof. (Eco.)	M.A. (Eco.) NET	
	3-Pooja Sharma	Asst. Prof. (Eng.)	M.A. (Eng.) NET	Dr. Poonam Pandit SSV College, Hapur Dr. Abha Shukla Kaushik AKP Hapur
	4-Renu Rani	Asst. Prof. (Hin.)	M.A. (Hin.) NET	Dr. Karuna Gupta AKP Hapur Dr. Subhra Jyoti RSS Pilkhuwa
	5-Jitendra Kumar	Asst. Prof. (Pol. Sci.)	M.A. (Pol. Sci.) NET	Dr. Indu Sharma D.A.V. College, BSR Dr. Amita Sharma AKP Hapur
	6-Alok Ranjan	Asst. Prof. (His.)	M.A. (His.) NET	Dr. Rajesh Garg D.A.V. College, BSR Dr. Gerish Kr. Singh DPBS College, Anoopshahr
	7-Manoj Kumar	Asst. Prof. (Edu.)	M.A. (Edu.) M.Ed. NET	Dr. Saroj Kumari CSSSC Machhara, Meerut Dr. Shashi Malik VMLG College, GZB
	8-Mrs. Divya Sharma	Asst. Prof. (H. Sci.)	M.Sc, NEI	Dr. Sanrati Dani AKP Hapur Dr. Shabnam Chawada VMLG College, GZB
B.Com.	9-Sachin Kumar	Asst. Prof. (B.Com.)	M.Com. NET	Dr. Amit Sharma I.P. College, BSR Dr. Anju Rani RSS Pilkhuwa ----- do -----
	10-Swati Rawat	Asst. Prof.	M.Com, NEI	
B.Sc.	11-Dr. Naresh Pratap	Asst. Prof. (Che.)	M.Sc, Ph.D.	Dr. Sangeeta Agarwal SSV College, Hapur Dr. Shivani Sharma RSS Pilkhuwa Hapur

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी०ए०, बी०काम० एवं बी०एस०सी० पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर शासन/यूजी०सी०/नियामक संस्था के अनुमोदन पर अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि, चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति महाविद्यालय में उपरोक्त पाठ्यक्रम के संचालन रहने तक उपरोक्त शिक्षकों की सेवाएं सतोषजनक रहने तक, यथावत रहेंगी। शिक्षकों की शिक्षण गुणवत्ता का निवारण करने के लिए गुल्याकन प्रक्रिया निरन्तरता से अपनाया आवश्यक है। असंतोषजनक सेवा होने की स्थिति में सेवा सम्बन्धी सविदा का विखण्डन करने से पूर्व नैसर्गिक रसाय के सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विश्वविद्यालय के मा० कुलपति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि चयनित शिक्षकों की मूल्य/त्यागपत्र की दृशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को अवगत कराना जाएगा तथा रिक्त स्थान की आपूर्ति के लिए तुरन्त चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करेंगे। चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे। चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति प्रमाण पत्र तथा संस्थान में कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी अभिलेख विश्वविद्यालय को पत्र प्राप्त के 10 दिनों में उपलब्ध कराये जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

प्रधान सहायक (सम्बद्धता)

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



सेवा में,
सचिव/प्राचार्य,
जय माँ सावित्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन,
हापुड़।

पत्रांक : सम्बद्धता/1827
दिनांक : 08-09-2021

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 13.08.2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उन्होंने संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित बी0काम0 पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

S.N.	Name	Design	Qualification
1-	Mohd. Samar Nadeem	Asst.Prof.	M.Com. NET
2-	Dr. Neeraj Kumar	Asst. Prof.	M.Co m, Ph.D.
3-	Dr. Mohd. Nadeem	Asst. Prof.	M.Com, Ph.D.

Univ. Expert
Dr. Amit Sharma
I.P. College, Bulandshahr
Dr. Anju Rani
RSS Pilkhuwa Hapur
----- do -----
----- do -----

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी0काम0 पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर शासन/ यू0जी0सी0/ एन0सी0टी0ई0/ वी0सी0आई0/ एम0सी0आई0/ एन0सी0आई0/ सी0सी0आई0एम0 / ए0आई0सी0टी0 के मानकानुसार पाँच वर्ष हेतु अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र/निष्कासन की दशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के सम्बन्ध में अद्यतन शासनादेशों के प्राविधानों के अनुपालन का उत्तर दायित्व संस्थान/महाविद्यालय का होगा। चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/182-6
दिनांक : 06-9-2021

सेवा में,
सचिव/प्राचार्य,
जय माँ सावित्री युप ऑफ इंस्टीट्यूशन,
हापुड़।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 13.08.2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उन्होंने संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित बी0ए0 (इतिहास) पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

<u>S.N.</u>	<u>Name</u>	<u>Design</u>	<u>Qualification</u>	<u>Univ. Expert</u>
1-	Sumit Kumar	Asst. Prof.	M.A. NET	Dr. Rajesh Garg D.A.V. Bulandshahr Dr. Girish Kr. Singh A.S. College, Lakhawati

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी0ए0 (इतिहास) पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर शासन/यू0जी0सी0/एन0सी0टी0ई0/बी0सी0आई0/एम0सी0आई0/एन0सी0आई0/सी0सी0आई0एम0/ए0आई0सी0टी0 के मानकानुसार पाँच वर्ष हेतु अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र/निष्कारण की दशा में विलम्बतम में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के सम्बन्ध में अद्यतन मामलों के अनुपालन का उत्तर दायित्व संस्थान/महाविद्यालय का होगा। चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर को कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्य करेगा।

भवदीय

सहाय कुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव